वित्तीय वर्ष 2024–25 से 2026–27 तक राज्य स्कीम मद से नारियल पौध वितरण योजना का कार्यान्वयन अनुदेश।

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–NHM/BHDS/121/2024–पी0पी0एम0–27 दिनांक–15.03.2024 द्वारा राज्य स्कीम मद से नारियल पौधा वितरण योजना वित्तीय वर्ष 2024–25 से 2026–27 तक, तीन वर्षो के लिए कुल 159.38 लाख (एक करोड़ उन्सठ लाख अड़तीस हजार) रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गई है। योजना का कार्यान्वयन स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न अनुसूची – 1, 2, 3 एवं 4 के अनुरूप राज्य के सभी 38 जिलों में सहायक निदेशक उद्यान के द्वारा किया जायेगा।

1. योजना का उद्देश्यः–

राज्य में नारियल के अपरम्परागत क्षेत्र में नारियल पौधा रोपण कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।

2. योजना के कार्यान्वयन से संबंधित अनुदेश निम्नवत हैः–

i. नारियल के पौधा की इकाई लागत 85.00 रूपये (उत्पादन व्यय 70.00 रूपये एवं जिला परिवहन व्यय 15.00 रूपये) है। इकाई लागत 85.00 रूपये प्रति पौधा पर 75 प्रतिशत सहायतानुदान यानि 63.75 रूपये देय होगा।

ii. जिलावार स्वीकृत पौधा, क्षेत्रीय निदेशक, नारियल विकास बोर्ड, बिहार, पटना के माध्यम से सहायक निदेशक उद्यान को उपलब्ध कराया जायेगा। तत्पश्चात् नियमानुसार वितरित किया जायेगा।

iii. इस योजना अन्तर्गत नारियल पौधा का वितरण वैसे किसानों को किया जायेगा, जो अपने घर के आस–पास अपनी जमीन/बाड़ी/किचेन गार्डेन/खेत में लगाने को इच्छुक होंगे। शहरी क्षेत्र के व्यक्ति भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

iv. नारियल पौधा का अनुदानित दर पर वितरण एकरारनामा/या जहाँ लगाया जायेगा, उस जमीन का रसीद अनिवार्य होगा। पौधा वितरण करते हुए Geo tag फोटो भी Software में upload करना अनिवार्य होगा।

v. पौधा रोपणी के दो माह के अन्दर स्थल निरीक्षण करना अनिवार्य होगा एवं जीवित पौधा का सत्यापन कर सॉफ्टवेयर में Enrty करना अनिवार्य होगा।

vi. इस योजना अन्तर्गत स्वीकृत कार्यक्रम का Geo-tagging तथा निरीक्षण का कार्य सहायक निदेशक उद्यान द्वारा किया जायेगा, जिसके आधार पर नियमानुसार सहायतानुदान का भुगतान होगा। निरीक्षण प्रतिवेदन एवं Geo Tagg फोटोग्राफ सॉफ्टवेयर में अपलोड करना अनिवार्य होगा।

vii. नारियल पौधा माह जून से सितम्बर, 2024 में पौध रोपण हेतु, क्षेत्रीय निदेशक, नारियल विकास बोर्ड, पटना के द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। संबंधित सहायक निदेशक उद्यान द्वारा पौध प्राप्ति के 7 दिनों के अन्दर किसानों को पौधा उपलब्ध कराया जायेगा।

3. आवेदन की प्रक्रियाः–

i. इस योजना का लाभ लेने के लिए बिहार राज्य का कृषक होना तथा कृषि विभाग के डी.बी.टी. पोर्टल (http://dbtagriculture.bihar.gov.in) पर पंजीकृत होना आवश्यक है।

उद्यानिक योजनाओं का लाभ लेने के लिए इच्छुक कृषकों को उद्यान निदेशालय के वेबसाईट (horticulture.bihar.gov.in) पर आवेदन करना अनिवार्य होगा।

ii. योजना का लाभ लेने हेतु उक्त वेबसाईट पर आवेदन संबंधित सभी कागजात अपलोड करना आवश्यक होगा। इच्छुक कृषकों को भूमि स्वामित्व प्रमाण–पत्र/दो वर्ष पूर्व से अद्यतन राजस्व रसीद/ऑनलाईन अद्यतन रसीद/वंशावली/एकरारनामा (विहित प्रपत्र) के आधार पर विधि मान्य भू–स्वामित्व का प्रमाण–पत्र में से कोई एक उपस्थापित करना अनिवार्य होगा।

एकरारनामा का विहित प्रपत्र संलग्न किया जा रहा है।

4. <u>आवेदन की जाँच (सत्यापन)</u> :–

इच्छुक कृषकों द्वारा वेबसाईट पर किये गये ऑनलाईन आवेदन को प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी या सहायक निदेशक उद्यान द्वारा नामित कर्मी द्वारा 7 (सात) दिनों के अन्दर सत्यापन करना आवश्यक होगा।

उपरोक्त सत्यापन कार्य निर्धारित समय–सीमा के अन्दर नहीं होने पर आवेदन स्वतः अग्रसारित होने की स्थिति में उक्त सत्यापन हेतु संबंधित कर्मी जवाबदेह होंगे।

5. <u>लाभुक चयन की पात्रता एवं प्रक्रिया</u> :–

i. लाभुक का चयन "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर किया जायेगा।

ii. योजना का लाभ सामान्यतया कृषक परिवार को दिया जायेगा। कृषक परिवार का मतलब पति–पत्नी एवं नाबालिग बच्चा होगा।

iii. कृषकों का कोटिवार चयन स्वीकृत्यादेश में निहित आदेश के आलोक में किया जायेगा। यह भी प्रयास किया जायेगा की लाभुक में प्रत्येक श्रेणी में 30 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी।

iv. सहायक निदेशक उद्यान कार्यालय में योजना अन्तर्गत लाभुक से संबंधित योजना पंजी का संधारण सुनिश्चित किया जायेगा।

v. सत्यापनोपरांत संबंधित सहायक निदेशक उद्यान द्वारा योग्य आवेदक को कार्यादेश 7 (सात) दिनों के अन्दर निर्गत करना आवश्यक होगा।

vi. कार्यादेश में कार्य को पूरा करने का समय एवं अनुदान भुगतान की समय–सीमा का उल्लेख करना आवश्यक होगा।

vii. किसान सलाहकार/कृषि समन्वयक/ATM/BTM/प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में योजना का प्रचार–प्रसार करते हुए लक्ष्य अनुरूप Online आवेदन कराना सुनिश्चित करेंगे।

6. <u>अनुदान विमुक्ति की प्रक्रिया</u>:–

एक लाभार्थी को न्यूनतम 5 तथा अधिकतम 4 हेक्टेयर के लिए 712 पौधा (प्रति हेक्टेयर 178 पौधा) अनुदानित दर पर उपलब्ध कराया जायेगा। कृषक अंश की राशि (21.25 रू० प्रति पौध) कृषक से प्राप्त करने के उपरान्त ही कृषको को नारियल पौध उपलब्ध कराई जाएगी। प्रति पौधा प्राप्त कृषक अंश एवं सहायता अनुदान की

राशि नारियल विकास बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक खाता में भुगतान किया जायेगा।

7. <u>कार्य दायित्व</u>:–

i. प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी –

- प्रखंड उद्यान पदाधिकारी/कृषि समन्यवक द्वारा संबंधित योजना का प्रचार–प्रसार संबंधित प्रखंड/पंचायत में किया जायेगा। प्रचार–प्रसार के उपरान्त सभी प्रखंडो/पंचायतों के तहत् ऑनलाईन आवेदन कराना सुनिश्चित करेगें।
- प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड में कार्यान्वित योजनाओं का ससमय शत–प्रतिशत निरीक्षण करेंगे तथा निरीक्षण प्रतिवेदन जियो टैग फोटोग्राफ के साथ अपलोड करेंगे।

ii. सहायक निदेशक उद्यान–

- जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला बागवानी विकास समिति से राज्य बागवानी मिशन मुख्यालय द्वारा जिलों को आवंटित लक्ष्य का अनुमोदन प्राप्त कर क्रियान्वित किया जायेगा।
- योजनाओं के प्रचार–प्रसार हेतु कार्यशाला, जागरूकता अभियान इत्यादि का आयोजन।
- कार्य निष्पादित अवयवों का बिना किसी विलम्ब के भौतिक सत्यापन हेतु निदेशित करना।
- योजना के प्रगति का समीक्षा करना तथा मासिक प्रगति प्रतिवेदन से प्रमंडलीय उप निदेशक उद्यान/मिशन निदेशक को अवगत कराना। **साथ ही साथ अवयववार प्रगति को संसूचित सॉफ्टवेयर में अपलोड करना।**
- CFMS से भुगतान के आलोक में अवयववार भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि को संबंधित सॉफ्टवेयर में नियमानुसार End to end Entry निर्धारित समय सीमा के तहत् सुनिश्चित कराना तथा उसकी समीक्षा करना।
- जिला स्तर पर सहायक निदेशक उद्यान, जिला में योजना का निरीक्षण करेंगे।

iii. प्रमण्डलीय उप निदेशक उद्यान :–

- प्रमण्डल स्तर पर योजना के प्रगति का पर्यवेक्षण एवं मासिक समीक्षा करना एवं बैठक की कार्यवाही से मिशन मुख्यालय को अवगत कराना।
- योजना के तहत् विभिन्न अवयवों के कार्यान्वयन के उचित समय को ध्यान में रखते हुए अपने प्रमंडल के सहायक निदेशक उद्यान को आवश्यक दिशा–निर्देश देना ताकि योजना की प्रगति समय से हो सके।
- CFMS से भुगतान के आलोक में भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि को सॉफ्टवेयर में Entry की समीक्षा अपने प्रमंडलीय जिला में समय–समय पर परिभ्रमण के क्रम में करना।
- प्रमण्डलीय उप निदेशक उद्यान के द्वारा प्रमण्डल में कार्यान्वित योजना का निरीक्षण करेंगे एवं निरीक्षण प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर अपलोड करेगें।

iv. **योजना के नोडल पदाधिकारीः–**

- योजना का समय–समय पर उचित माध्यम से समीक्षा करना।
- योजना के कार्यान्वयन के क्रम में जिलों से प्राप्त पत्रों का त्वरित निष्पादन कराकर निदेश उपलब्ध कराना।
- योजना के ऑनलाईन मासिक प्रगति के समेकित प्रतिवेदन तैयार कराकर मिशन निदेशक राज्य बागवानी मिशन को उपलब्ध कराना।
- योजना का समय–समय पर यथा आवश्यक निरीक्षण करना।

v. **निदेशक, उद्यानः–** मुख्यालय स्तर पर योजना का समीक्षा, पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण सहित योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु समय–समय पर आवश्यक निदेश एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जायेगा।

निदेशक उद्यान, बिहार